न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 191/2008
फूलवास देवी बनाम माया देवी

02.05.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 71क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 71क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा वादिनी सं0 1 फूलवास देवी की मृत्यु दिनांक 18.01.2018 को हो गई है, जिनके विधिक प्रतिनिधि उनके पांच पुत्रगण हैं, जो पहले से ही पक्षकार मुकदमा हैं। वादीगण को वरासत कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे समय से वरासत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विधिक सलाह मिलने पर अविलम्ब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी दशा में प्रार्थी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर, दरख्वास्त वरासत को स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 71क2 वादिनी सं0 1 फूलवास देवी की मृत्यु दिनांक 18.01.2018 को दौरान मुकदमा होने के फलस्वरूप कार्यवाही वरासत किये जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। मृतक के वारिसान पहले से पक्षकार मुकदमा हैं। वादी द्वारा विलंब की बावत धारा 5 कानून अधिनियम की मियाद देने की बात कही गई। वादी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में, विलम्ब के बाबत प्रार्थनापत्र 71क2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 71क2 मु0 50/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 29.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती